# चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
## Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/2789
दिनांक : 22.9.2023

सेवा में,

सचिव,
यूनिक लॉ कालेज,
मुरादनगर, गाजियाबाद।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 01.05.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने महाविद्यालय/संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमो में चयन समिति द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को **प्राचार्य** पद पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

| S.N. | Name | Design | Qualification | Univ. Expert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Awadhesh Pratap Singh | Principal | LLM, Ph.D. | Dr. Seema Jain<br>JKP College, MZN<br>Dr. Anjali Mittal<br>Meerut College, Meerut<br>Prof. M.K. Gupta<br>CCSU,Meerut |

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में उपरोक्त अभ्यर्थियों को **प्राचार्य** पद पर शासन/यू0जी0सी0/नियामक संस्था के मानकानुसार अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति महाविद्यालय में उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन रहने तक उपरोक्त शिक्षकों की सेवाये संतोषजनक रहने तक, यथावत रहेगी। शिक्षकों की शिक्षण गुणवता का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया निरन्तरता से अपनाना आवश्यक है। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि चयनित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र की दशा में विलम्बतम 15 दिवसों में विश्वविद्यालय को अवगत कराया जाएगा तथा रिक्त स्थान की आपूर्ति के लिए तुरन्त चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करेगे। चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत् रहेंगे। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति प्रमाण पत्र तथा संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी अभिलेख विश्वविद्यालय को पत्र प्राप्ति के 10 दिवसों में उपलब्ध कराये जाएगे। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

प्रधान सहायक (सम्बद्धता)

# चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
## Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/3924
दिनांक : 22.2.2025

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
यूनिक लॉ कालेज,
मुरादनगर, गाजियाबाद।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 11.03.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने महाविद्यालय/संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित **एल0एल0बी0 (तीन वर्षीय)** पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को **असिस्टेंट प्रोफेसर** पद पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

| S.N. Name | Design | Qualification | Univ. Expert |
|---|---|---|---|
| 1-Shashi | Asst.Prof. | LLM, NET, | Prof. Anjali Mittal<br>Meerut College, Meerut<br>Dr. Hari Sankar Rai<br>Meerut College, Meerut |
| 2- Ms. Akanshu Saxena | Asst.Prof. | LLM, NET | ---------- do ---------- |
| 3- Mr. Deen Dayal Sing | Asst.Prof. | LLM, NET | ---------- do ---------- |
| 4- Mr. Mukesh Kr. Pokhriyal | Asst.Prof. | LLM, NET | ---------- do ---------- |
| 5- Mr. Shadab | Asst.Prof. | LLM, NET | ---------- do ---------- |
| 6- Mr. Mohd. Jikiriya | Asst.Prof. | LLM, NET | ---------- do ---------- |
| 7- Mr. Robin Sing | Asst.Prof. | LLM, NET | ---------- do ---------- |
| 8- Mr. Usman | Asst.Prof. | LLM, NET | ---------- do ---------- |

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित **एल0एल0बी0 (तीन वर्षीय)** पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थियों कां **असिस्टेंट प्रोफेसर** पद पर शासन/यू0जी0सी0/नियामक संस्था के मानकानुसार अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति महाविद्यालय में उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन रहने तक उपरोक्त शिक्षकों की सेवाये संतोषजनक रहने तक, यथावत रहेगी। शिक्षकों की शिक्षण गुणवता का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया निरन्तरता से अपनाना आवश्यक है। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि चयनित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र की दशा में विलम्बतम 15 दिवसों में विश्वविद्यालय को अवगत कराया जाएगा तथा रिक्त स्थान की आपूर्ति के लिए तुरन्त चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करेगे। चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत् रहेंगे। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति प्रमाण पत्र तथा संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी अभिलेख विश्वविद्यालय को पत्र प्राप्ति के 10 दिवसों में उपलब्ध कराये जाएगे। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

प्रधान सहायक (सम्बद्धता)

C.K. (125)